न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मनमोहन बनाम रामेश्वर दयाल मु. सं. 1/10 (T.I)
11-7-17	का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का वाद घोषणात्मक वाद है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर सायलान के पक्ष में जारी अन्त० अस्थाई निषेधाज्ञा दि० 7-1-10 वाद पत्र के निर्णय तक कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, महवा कैम्प मण्डावर